IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बाल अपराध : कारण एवं निवारण

डॉ.रीमा कुमारी
एम.ए ए बी.एडए पीएचडी (पटना विश्वविद्यालय)
प्रोजेक्ट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयए
जगदीशपुर ए भागलपुर ए बिहार !

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। अपराध में बालको के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार को जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैंए ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दीए भीख माँगनाए निरूद्देश्य इधर-उधर घूमनाए उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है।
गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज में गंभीर समस्या बाल अपराध से संबंधित है ! भारत में बाल अपराध ए बाल अपराध के प्रकार ए बाल अपराध के कारण का अवधरणात्मक विवेचन करते हुये एइसके निवारण हेतु सुझावों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है !

परिचय

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है।

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैंए इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है।

भारत में जुर्म में संलिप्त नाबालिगों की संख्या में निरंतर हो रही बढ़ोतरी के कारण किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव पर विचार किया गया। भारत में साल 2012 में जहां 27 हजार 936 किशोर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे वहीं साल 2013 में ये संख्या बढ़कर 31 हजार 725 तक पहुंच गई और 2014 में यह आंकड़ा 33 हजार 526 तक जा पहुंचा। भारत की राजधानी दिल्ली में दिसम्बर 2012 को हुए निर्भया बलात्कार कांड के बाद देश में अपराधिक मामलों में नाबालिगों की आयु को लेकर खासा विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके पीछे मुख्य कारण इस घिनौने और निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी का नाबालिग होना था। भारत में इस सन्दर्भ में नाबालिग आयु 18 से घटाकर 14 वर्ष करने की पुरजोर मांग हुई थी जिससे जघन्य अपराधों में संलिप्त नाबालिगों पर वयस्क कानून के अंतर्गत सजा हो सके। देश भर में लंबे धरने और प्रदर्शनों के दौर के बाद देश की संसद में लंबित पड़ा किशोर न्याय बिल अंतत: पास कर दिया गया और नाबालिग आयु को पुन: परिभाषित कर 16 वर्ष कर दिया गया। भारत में 15 जनवरीए 2016 से नया किशोर न्याय अधिनियम 2015 देश में लागू हो गया है।

बाल अपराध के प्रकार :-

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है। कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। हावर्ड बेकर (1966द्ध ने चार प्रकार के बाल अपराध बताएँ है।

;क) वैयक्तिक बाल अपराध
;ख) समूह समर्थित बाल अपराध
;ग) संगठित बाल अपराध
;घ) स्थितिजन्य बाल अपराध

;क) वैयक्तिक बाल अपराध:-

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है। और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएँ मनोचिक्त्सिक समझाते हैंए उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936द्ध ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अनपराधी सहोदारो से ही और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13ण्0 प्रतिशत अनपराधी सहोदारों की तुलना मे 90ण्0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वेअपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थेए उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ-बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थेए इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थेए क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता-पिता का ध्यान उनकी और आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़को से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थेए उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधीयों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही हैए लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थेए इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र सम्बन्धए माता पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सकेए इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

;ख)समूह समर्थित बाल अपराध :-

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नही मिलताए बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैंए मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिऐ बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता थाए बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

;ग)संगठित बाल अपराध :-

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैंए इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैंए अपराध करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते हैंए इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबधो को स्पष्ट करते है जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

;घ)स्थितिजन्य अपराध :-

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैंए एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता हैए यह या तो कम विकसितए अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का सदंर्भ दिया है।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधरों पर बाल-अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है। उदाहरणार्थ इन्हें 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

1ण अशाध्यिता उदाहरणार्थ : देर रात तक बाहर रहनाए
2ण स्कूल से भागनाए
3ण चोरीए
4 सम्पत्ति की क्षतिए
5ण हिंसा एवं
6ण यौन-अपराध

ईनर और पॉक ने अपराधों के प्रकार के आधार पर पाँच प्रकारों मे वर्गीकरण किया हैं

1ण छोटे-छोटे उल्लंघन : यातायात संबधी नियमों का उल्ल्घन
2ण वृहत उल्लघन : वाहन चोरी संबधी
3ण सम्पत्ति सम्बन्धी
4ण मादक व्यसन
5ण शारीरिक हानि

राबर्ट ट्रोजानोविज (1973द्ध ने अपराधियों को आकस्मिकए असामाजिकतापूर्णए आक्रामकए कदाचनिक और गिरोह संगठित में वर्गीकत किया है।

मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधियों को उनके वैयक्ति गुणों या व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता के आधार पर चार भागों में बाँटा हैए मानसिक रूप से दोषपूर्ण मनस्तापीए तणिकामय पीडित और स्थितिजन्य।

बाल अपराध के कारण

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या हैए अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैंए इसके कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

पारिवारिक कारण रू.

परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला हैए जहाँ वह अपने माता-पिता एवं भाई-बहनों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। जब माता-पिता बच्चों के प्रति अपने दायित्वो का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैंए तो बच्चों से भी श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार से संबधित कई कारण बालक को अपराधी बनाने में उत्तरदायी है।

भौतिक वंशानुक्रमण रू.

बच्चों के शरीर और स्वास्थ्य का संबध उसके वंशानुक्रमण से भी है जो कि उसकी शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता हैए इटली के अपराधाशास्री लोम्ब्रोसो ने तो अपराधी प्रवृति को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से जनित ही माना था। गोडाईए रिचार्ड डुग्डेल एवं इस्टा बुक ने कालिकाक और ज्यूक परिवारों का अध्ययन करके पाया कि ये परिवार शारीरिक दृष्टि से क्षत थे तथा इन परिवारों की सभी पीढ़ियां अपराधी थी। भारत में भूतपूर्व अपराधी जनजातियों को भी वंशानुक्रमण के आधार पर अपराधी घोषित किया गया थाए अपराधी को वंशानुक्रमण की देन मानने वाले विद्वान मेण्डल के वंशानुक्रमण के सिद्धान्त से प्रभावित थे।

किन्तु वर्तमान में अपराध शास्त्र में इस अवधारणा का बहिष्कार किया गया। बर्ट ओर गिलिन ने अपने अध्ययनों मे बाल अपराध को वंशानुक्रमण से संबधित नहीं पाया।

भग्न परिवार निम्न दो प्रकार से टूट सकते हैं - भौतिक रूप से तथा मानसिक रूप से। भौतिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है - परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जानाए लम्बे समय तक अस्पतालए जेलए सेना आदि में रहने के कारण अथवा तलाक और पृथक्करण के कारण सदस्यों का परिवार में साथ-साथ नहीं रहना है। मानसिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ हैं - सदस्य एक साथ तो रहते

हैं किन्तु उनमें मनमुटावए मानसिक संघर्ष एवं तनाव पाया जाता है। हंसा सेठए कारए बर्टए बेजहोटए सुलेन्जर व ग्लूक आदि अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में पाया कि भग्न परिवार बाल अपराध के जनक है।

अपराधी भाई-बहन रू.
बच्चे अनुकरणप्रिय होते हैंए वे हर अच्छे बुरे काम को बड़ो से अनुकरण के आधार पर सीखते हैंए यदि परिवार में बड़े भाई-बहिन अपराधी हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता हैए उनमें विद्रोही भावना के स्वर मुखरित हो जाते हैंए वे दुषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलतसंस्कार प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैंए अथवा माता पिता बच्चें को समान रूप से स्नेह नहीं देतेए तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने को परिवार से अलग कर लेते हैं और उनके मन मे अपराध की भावना जागृत हो जाती हैं।

माता-पिता द्वारा तिरस्कार:-
माता-पिता द्वारा बच्चे के विकास और अन्तः करण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अंतविवेक की कमी होने के कारण शत्रुता की भावना के साथ मिलकर आक्रामकता को जन्म देती हैए ऐण्ड्री (1960द्ध ने भी माना है कि बाल अपराधी अपराधियों की अपेक्षा माता-पिता का प्यार कम पाते हैं।

इसी प्रकार दोषपूर्ण अनुशासन भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार कारक हैए अनुशासन का प्रभुत्वपूर्ण दृष्टिकोण बच्चे के मित्र समूह सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है क्योकि बच्चा अपने साथियों के साथ स्वतत्रता से व्यवहार नहीं कर पायेगा दूसरी और नम्र अनुशासन बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण प्रदान नहीं करेगाए अनुचित या पक्षपातपूर्ण अनुशासन बच्चे में यथेष्ट अन्तः भावना का विकास करने में असफल रहता है।

परिवार की आर्थिक दशा रू.
बच्चों की आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ परिवार भी बच्चे में असुरक्षा पैदा कर सकता है ओर उस नियंत्रण की मात्रा को प्रभावित कर सकता है जो परिवार बच्चे पर डाल सकता है क्योंकि वह भौतिक समर्थन तथा सुरक्षा परिवार के बाहर खेजता है। पीटरसन और बेकर ने बताया कि अपराधियों के परिवार प्रायः भौतिक रूप से कमजोर होते हैंए जो कि बाल अपराधी के स्वंय के प्रत्यक्षण को प्रभावित कर सकते हैं और उसको घर से भागने में सहायक हो सकते है।

भीड़-भाड़ युक्त परिवार रू.
आधुनिक समाज में नगरीकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति को रहने का पर्याप्त स्थान नहीं मिल पताए बड़े परिवार को भी बहुत छोटे स्थान में रहना पड़ता है। इसके कारण माता-पिता न तो बच्चों पर पूर्ण ध्यान दे पाते हैंए न ही कोई आन्तरिक सुरक्षा उन्हें मिल पाती हैए मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैंए अतः बच्चे अपराध की ओर प्रवृत हो जाते हैंए माता-पिता स्वंय ही उन्हें बाहर भेजना पंसद करते हैए जहाँ बच्चे अपराधी बालकों की संगति प्राप्त करते हैं और स्वयं भी अपराधी बन जाते हैं।

व्यक्तिगत कारण:-
पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त स्वंय व्यक्ति में ही ऐसी कमियां हो सकती है जिनसे कि वह अपराधी व्यवहार को प्रकट करें।

शारीरिक कारक : -
जब बालक किसी प्रकार की शरीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाता है वे अपराध की ओर प्रवृत हो जाते हैए सिरिलए बर्टए हीले तथा ब्रोनर एवं ग्लूक आदि ने बाल अपराधियों के अध्ययन मे ऐसा पायाए हट्टन ने अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों जैस बहरापनए स्थाई रोगए शरीरिक अपंगताए बुद्धि की कमी को बाल अपराध का कारण माना है।

मनोवैज्ञानिक कारण:-
मनौवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना हैंए मानसिक कारणों में दो कारक महत्वपूर्ण हैं

मानसिक अयोग्यता रू.

गोडार्डए हीले एवं ब्रोनर आदि ने अध्ययनो द्वारा यह पाया कि बाल अपराधी मानसिक रूप से पिछडे होते हैए क्लेश एवं चासो ने कोलम्बिया विश्विद्यालय में सन् 1935 में अपना एक लेख श्श्दी रिलेशन बिटविन मोरलिटी एण्ड इण्टलेक्ट प्रकाशित किया जिसमें

दर्शाया कि कमजोर मस्तिष्क वाले परिवारों का झुकाव अपराध की ओर अधिक थाए मानसिक पिछड़ेपन के कारण उनमें तर्क शक्ति का अभाव होता है।

भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष :-
भावात्मक अस्थिरता के कारण भी बच्चे अपराधी हो जाते हैए सिरिल बर्टए हीले एवं ब्रोनर ने अध्ययनों में पाया कि प्रायः बाल अपराधी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते है एवं मानसिक संघर्ष से ग्रसित रहते हेंए इसी कारण वे अपराधों की ओर प्रवृत होते हैं।

सामुदायिक कारण :-
जिस समुदाय में बच्चा रहता है यदि उसका वातावरण अनुपयुक्त है तो वह बालक को अपराधी बना सकता हैए सामुदायिक कारकों में से कुछ प्रमुख का हम यहाँ उल्लेख करेंगे।

पड़ोस :-
पड़ोस का प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता हैए परिवार के अलावा बच्चा अपना अधिकतर समय पड़ोस के बच्चों के साथ व्यतीत करता हैए पड़ोस अपराध में व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताओं में व्यवधानबनकरए संस्कृतिक-संघर्ष करके तथा असामाजिक मूल्यों को पोषित करने में सहायक हो सकता हैए भीड-भाड़ वाले तथा अपर्याप्त मनोरंजन की सुविधाओं वाले पड़ोस बच्चों की खेल की प्राकृतिक प्रेरणाओं की उपेक्षा करता हैऔर अपराधी समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करता हैए पड़ोस में गृह सस्ते होटलए आदि भी अपराधिक गतिविधियाँ के जन्म स्थल होते हैं।

स्कूल रू.
विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों पर अत्यधिक पड़ता है। अध्यापकों का व्यवहारए स्कूल के साथी छात्रों व अध्यापकों के साथ सम्बन्धए पाठ्यक्रमों की कठोरताए मनोरंजन का अभावए अयोग्य छात्रों की पदोन्नति आदि कुछ ऐसे कारण है जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क को प्रभावित करे उसे अपराधी बना देते हैं। कम अंक प्राप्त करने या फेल होने पर बच्चों को स्कुल छुड़वा दिया जाता है या अध्यापकों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है या छात्रों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है इससे वे हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं और अपराध की ओर प्रवृत हो जाते है।

चलचित्र और अश्लील साहित्य रू.
अनैतिकताए मद्यपानए धूम्रपान से भरे चलचित्र और कामुक पुस्तकें बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़त हैं। कई बार वे अपराध के तरीके भी सीखते हैंए हमारे देश के कई भागों मे चोरीए सेंधमारीऔर अपहरण आदि सिनेमा के तरीकों का प्रयोग करने के जुर्म में अनेक बालक पकड़े जाते हैं। वे दावा करते हैं कि उन्होंने सिनेमा से अपराध के तरीके सीखे थे। चलचित्र सरलता से धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत करकेए इन उपलब्धिया ेंं के लिय विधियाँ सुझाकर और साहस की भावना भरकरए यौन भावनाएँ भड़का कर और दिवास्वप्न दिखाकर भी बच्चों में अपराधी व्यवहार की अभिरूचि का विकास करते हैं।

अपराधी क्षेत्र रू.
अपराधी क्षेत्र में निवास का भी अपराधी प्रवृति से घनिष्ठ संबध हैए वेश्याओं के अड्डेए जुआरियोंए शराबियों के पास निवास स्थान होने पर बच्चों के अपराधी होने के अवसर अधिक रहते हैं क्योंकि बच्चों मे अनुकरण एवं सुझाव -ग्रहरणशीलता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृतियों के सीखने की संभावना रहती हैए शॉ और मैनेंने ने यह बताया कि कई स्थान बच्चों को रखने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैंए शहर केन्द्र एवं व्यापारी क्षेत्र में अपराध अधिक होते हैंए ज्यों-ज्यों शहर के केन्द्र से परिधि की ओर जाते हैं अपराध की दर घटती जाती हैए हीले एव ं ब्रोनर की मान्यता है कि अपराध के प्रचलित प्रतिमानों से प्रभावित होकर गंदी बस्तियों के बच्चे अपराध करते हैं। उपयुर्क्त कारकों के अतिक्तिक बाल अपराध के लिए कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी है जैसे मूल्यो के भ्रमए सांस्कारिक भिन्नता एवं संघर्षए नैतिक पतनए स्वंतत्रता में वृद्धिए आर्थिक मन्दी आदि। स्पष्ट है कि बालकको अपराधी बनाने मे किसी एक कारक का ही हाथ नहीं होता वरन् अनेक कारकों की सह-उपस्थितियों ही बालक को अपराधी बनाने में योग देती है।

बाल न्यायालय

भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किये गये है। सन् 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याया अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों मे बाल न्यायालय है। बाल न्यायालय मे एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेटए अपराधी बालकए माता-पिताए प्रोबेशन अधिकारीए साधारण पोशक मे पुलिसए कभी-कभी वकील भी उपस्थित रहते हैंए बाल न्यायालय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मष्तिष्क में कोर्ट का आंतक दूर हो जाएए ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमाण्ड क्षेत्र में भेजा जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हैए उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया। सुनवाई के बाद अपराधी बालकों को चेतवनी देकरए जुर्माना करके या माता-पिता से बॉण्ड भरवा कर उन्हें सौंप दिया जाता है अथवा उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है या किसी सुधार संस्थाए मान्यता प्राप्त विद्यालय परिवीक्षा हॉस्टल में रख दिया जाता है।

सुधारात्मक संस्थाएँ

बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थाओं एवं सुधरालयों की स्थापना करने किया गया है जिनमें कुछ समय तक बाल अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता हैए हम यहाँ कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करेंगें -

रिमाण्ड क्षेत्र या अवलोकन: -

जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुधारात्मक रख जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती हैए अपराधी इन्हीं सुधरालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययनकरता हैं उन्हें मनोरंजनए शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया जाता है ऐसे गृहों में बच्चें से सही सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं जो वे न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते है। भारत में दिल्ली एवं अन्य 11 राज्यों में रिमाण्ड होना है। अब इनका स्थान सम्प्रेक्षण गृहों ने ले लिया है।

प्रमाणित या सुधारत्मक विद्यालय: -

प्रमाणित विद्यालय में बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं चलाती है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिये रखे जाते है। 18 वर्ष की आयु के बाल अपराधी के बोस्टले स्कूल के स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। इन स्कूलों में सिलाईए खिलौने बनानेए चमड़े की वस्तुएँ बनाने और प्रशिक्षण दिया जाताहै।

परिवीक्षा होस्टल: -

यह बाल अपराधियों के परिवीक्षा अधिनिमय के अन्तर्गत् स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते है जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा हॉस्टल निवासियों को बाजार जाने की तथा अपनी इच्छा का काम चुनने की पूर्ण स्वंतत्रता होती है। विभिन्न देशों की भाँति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं और बाल अपराध की पुनरावृति में कमी आयी है फिर भी इन उपायों में अभी कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

बालक अपराध की ओर प्रवेश नहीं होए इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाँएए अश्लील साहित्य एवं दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगायी जाएए बिगड़े हुए बच्चें को सुधारने में माता-पिता की मदद करने हेतु बाल सलाकार केन्द्र गठित किये जायें तथा सम्बन्धित कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएए संक्षेप मे बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज कल्याण विभाग) शैक्षिक संस्थाओंए पुलिसए न्यायपालिकाए सामाजिक कार्यकताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही हैए साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैंए इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं।

बच्चा चाहे शारीरिक कमजोरी से पीड़ित होए उसकी बुद्धि कम होए उसके माता पिता अपराधी होंए उसका वातावरण खराब होए उसी उपलब्धियाँ निम्न स्तर की होंए फिर भी वह तब तक अपराधी नहीं बनेगाए जब तक कि वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट न हो और असंतोष को दूर करने के उसके समाजस्वीकृत प्रयास असफल न हो चुके हों।

अपराध एक प्रकार का आत्मप्रकाशन तथा व्यवहार है। किशोर अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैंए केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर होता है। अत: समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिये मनावैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान है। रोग के कारण को दूर कर दीजिएए रोग दूर हो जाएगाए यह चिकित्साशास्त्र का सिद्धांत है। अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग हे। इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बालक बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

वर्मा एवं पाण्डेय ए आधुनिक गृह विज्ञान ए मानव विकास ए साईंटिफिक बुक कम्पनी ए पटना !
मीरा गोयल ए गृह विज्ञान ए एस.बी.पी.डी पब्लिकेशन एआगरा !
बर्टए सी : दि यंग डेलिंक्वेंटय
क्वैरेसियस : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल य
हूटन : क्राइम ऐंड दि मैनय
इस्लर : सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी (संकलन) य
हीली ऐंड ब्रानर : न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंटय
थ्रैशर : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड क्राइम प्रिवेंशन (लेख) य
आइकहार्न : दि वेवर्ड यूथ य
स्मिथए एच0 रू अवर टाउंस : ए क्लोज अपय
शा ऐंड मैकी : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड अरबन एरियाज़य
यंग : सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसीय
गोरिंग : दि इंग्लिश कन्विक्टय
लांब्रासा : क्राइम्ए इट्स काज़ेज ऐंड रेमेडीज़य
अपराध संबंधी भारत सरकार की रिपोर्टेंय
बाल अपराधी:कानूनी संरक्षण या कानूनी व सामाजिक अनदेखी का दुष्परिणाम (जागरण जंक्सन)
दीपक कुमार त्यागीए जनसत्ताए 28 जुलाई 2019एकिशोर और अपराध : व्यवहार में बदलावए कानूनी पहलू
रमेश सरार्फ धमोराए प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्कए मनोवैज्ञानिक तरीक़े से रोके जा सकते हैं बाल अपराध
विकिपीडिया एकिशोर अपराध